

अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

कोल्हान एक्सक्यूशन वाद संख्या- 10/2001

बैंक ऑफ इंडिया, मझगाँव।

वनाम

अब्दुल वहाव।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख
	<p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>यह वाद दिनांक- 24.07.2001 को शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया, शाखा+पो+थाना- मझगाँव, जिला- पश्चिमी सिंहभूम द्वारा बैंक से लिये गये ऋण के विरुद्ध देनदार अब्दुल वहाव, पिता- एसके० अरशद, निवासी ग्राम- खड़पोस, पो+थाना- मझगाँव के विरुद्ध दायर किया गया है। इस वाद में लम्बे समय से वादी एवं प्रतिवादी की ओर से पैरवी नहीं की जा रही है। इससे प्रतीत होता है की उभय पक्षों को इस वाद में कोई अभिरुची नहीं है।</p> <p>अतः उपरोक्त परिस्थिति के आलोक में इस वाद को खारीज करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p style="text-align: center;"><i>linf</i> 30.12.2021 अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।</p> <p style="text-align: center;"><i>linf</i> 30.12.2021 अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा</p>	